

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग,  
राजस्थान, जयपुर।

249

क्रमांक :- प.5(278)निपेवि/नियम/प्री-2006/2013 (न्यू) 446-645 H दिनांक 09.02.2016

समस्त विभागाध्यक्ष  
(राजस्थान I)

विषय :- दिनांक 01.01.2006 से पूर्व के पेंशनर्स द्वारा सेवा निवृत्ति के समय धारित पद के वेतनमान में न्यूनतम वेतन के आधार पर पेंशन संशोधन प्रकरण।

संदर्भ :- राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक एफ-12 (एफ.डी0) रूल्स/2013 दिनांक 18.06.2013।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि राज्य सरकार के उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में आपके विभाग द्वारा पेंशन संशोधन हेतु आवेदन पत्र बहुत कम संख्या में अग्रेषित किए गए हैं। पेंशनर्स द्वारा इस विभाग में उपस्थित होकर यह अवगत कराया गया है कि आवेदन पत्र में सेवा निवृत्ति के समय धारित पद के वेतनमान के सत्यापन का कार्य करने में रुचि नहीं ली जा रही है, अतः कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को पेंशन संशोधन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में प्राथमिकता देकर अन्तिम वेतन एवं वेतनमान सत्यापित कर पेंशन विभाग को भिजवाने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें।

भवदीय,



(कै.कै. गौडियोक)  
निदेशक